न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2019 जिला–बिदिशा
निगरानी-0088/2019/विदिशा/भू.रा.

भालखां पुत्र श्री हजारी खां
निवासी– महाराजखेडी तहसील सिरोज जिला – बिदिशा (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

1 कमल सिंह पुत्र श्री रतन सिंह
निवासी – अनूपपुर तहसील सिरोज जिला बिदिशा (म.प्र.)

2 परसा पुत्र श्री पूरन सिंह

3 प्रकाश पुत्र श्री गोकुल
निवासी – ग्राम राईसा टपरा तहसील सिरोज जिला – बिदिशा म.प्र.

...... अनावेदकगण

श्री ... द्वारा दि. 11.1.19 को
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 18.1.19 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

<u>न्यायालय कमिश्नर भोपाल संभाग भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 154/2017–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 17.09.2018 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

<u>मामले के संक्षिप्त तथ्य :</u>

1 यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 ने विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार सिरोज के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया कि मौजा अनूपपुर स्थित भूमि खसरा नं. 510/4 रकवा 0.632 है0 पर आवेदक क्रमांक 1 एवं अनावेदक क्रमांक 2 व 3 द्वारा मकान बनाकर अवैध कब्जा कर दिया है, जिसे वापिस दिलाये जाये। जिसपर तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित आदेश दिनांक 27.01.2012 से आवेदक को बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया।

2 यहकि, नायब तहसीलदार सिरोज के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा प्रथम

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-0088/2019/विदिशा/Rev

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-04-19	आवेदकपक्ष अधिवक्ता श्री के0के0द्विवेदी उपस्थित। प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त न्यायालय के द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50(2)(ख) के अन्तर्गत द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय को प्रकरण के सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने से यह प्रकरण सुनवाई हेतु अग्राहय किया जाता है । अध्यक्ष	